

संचालनालय

महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती. भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email : dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक / 15004 / मबावि / मसमि / सखी / 25-26

नवा रायपुर, दिनांक 12/12/2025

// विज्ञापन //

सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत जिला दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कांकेर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार एवं जांजगीर-चांपा में सेवाप्रदाताओं के पद पर कर्मचारियों की भर्ती।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना के तहत जिला दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कांकेर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार एवं जांजगीर-चांपा, छ0ग0 में सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवाप्रदाता के पदों पर एकमुश्त मासिक सेवा शुल्क पर भर्ती के लिये पात्र आवेदकों से दिनांक 17.12.2025 से 31.12.2025 तक विभाग की वेबसाइट (उपरोक्त दर्शाये गये) <https://sakhionestop.e-bharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	निर्धारित एकमुश्त मासिक सेवा शुल्क	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	केन्द्र प्रशासक	1	31450 / -	सेवा प्रदाता के रूप में चयन निर्धारित एकमुश्त मासिक सेवा शुल्क
2	साईको-सोशल काउंसलर	1	25780 / -	
3	केसवर्कर	2	18420 / -	
4	पैरा लीगल कार्मिक / वकील	1	18420 / -	
5	पैरा मेडिकल कार्मिक	1	18420 / -	
6	कार्यालय सहायक	1	18420 / -	
7	बहुउद्देशीय कर्मचारी / रसोईया	3	11720 / -	
8	सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड	3	11360 / -	

* सभी पद महिला पद है। उक्त पद हेतु महिला उम्मीदवार ही आवेदन करें।

* छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट हेतु जारी निर्देश लागू माने जायेंगे।

उपरोक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कार्य दायित्व एवं अन्य विवरण www.cgstate.gov.in and www.cgwcd.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है :-

विज्ञापन अनुसार ऑनलाईन आवेदन दिनांक 31.12.2025 की संध्या 5:00 बजे तक विभाग की वेबसाइट (उपरोक्त दर्शाये गये) <https://sakhionestop.e-bharti.in> के माध्यम से ही प्रेषित किये जावें। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. रेणुका श्रीवास्तव)

संचालक

महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)

**सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं,
आर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्तें**

विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	पदनाम	पद संख्या	निर्धारित एकमुश्त मासिक सेवा शुल्क	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	केन्द्र प्रशासक	1	31450 / –	सेवा प्रदाता के रूप में चयन निर्धारित एकमुश्त मासिक सेवा शुल्क
2	साईको-सोशल काउंसलर	1	25780 / –	
3	केसवर्कर	2	18420 / –	
4	पैरा लीगल कार्मिक / वकील	1	18420 / –	
5	पैरा मेडिकल कार्मिक	1	18420 / –	
6	कार्यालय सहायक	1	18420 / –	
7	बहुउद्देशीय कर्मचारी / रसोईया	3	11720 / –	
8	सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड	3	11360 / –	

1. सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व –

S. No	Position	Number of Staff	Qualification/ Experience
1	Central Administrator	01	- Any woman having a Masters in Law/ Social Work/ Sociology/Social Science/Psychology with at least 5 years" experience of working on women related relevant domains in an administrative set-up with a Government or Non-Government project/ programme and preferably with at least 1 year experience of counselling either within or outside the same set-up. - She should be preferably a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.
2	Case Worker	02	- Any woman having a Bachelor in Law/ Social Work/Sociology/Social science/ Psychology with at least 3 years" experience of working on women related relevant domains in a Government or Non-Government project/programme. - She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre.
3	Para Legal Personnel/ Lawyer	01	In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any woman having a degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years" experience of working within a Government or Non-Government women related project/ programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years" experience of litigation in any court of law.

S. No	Position	Number of Staff	Qualification/ Experience
			experience of working within a Government or Non-Government women related project/ programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years" experience of litigation in any court of law.
4	Para Medical Personnel	01	In the absence of a regular Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medical assistance service could be outsourced to any woman having professional degree / diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years " experience of working within a Government or Non-Government health project/ programme at the district level.
5	Psycho-social Counsellor	01	The service could be outsourced to any woman having professional degree / diploma in psychology / psychiatry / neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years" experience of working within a Government or Non-Government health project/ programme at the district level.
6	Office Assistant with computer knowledge	01	The services could be outsourced to any woman who is a graduate with at least diploma in computers/ IT etc with a minimum of 3 years" experience in data management, process documentation and web-based reporting formats, video conferencing at state or district level with government or Non-Governmental/ IT-based organizations.
7	Multi-purpose Staff / Cook	03	The multi-purpose activity could be outsourced to any woman who is literate with knowledge / experience of working in the relevant domain. High School pass or equivalent will be preferred.
8	Security Guard/ Night Guard	03	The services could be outsourced to any woman who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years" experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military / para-military personnel.

2. आयु सीमा –

- 2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 2.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जाएंगे।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
- 2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तत्संबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- 2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.10 आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन स्वीकार किया जायेगा।
- 2.11 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

- 2.14 शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
 - 2.15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
 - 2.16 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
 - 2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाईन आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
 - 2.18 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू/ कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
 - 2.19 कौशल परीक्षा/ वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
 - 2.20 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
 - 2.21 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
 - 2.22 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
 - 2.23 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
3. **नियुक्ति प्रक्रिया :-** सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। वर्तमान में सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावे।
- 3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी 13 पदों के लिए नियुक्तकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
 - 3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

- 3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे—
- 3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- 3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- 3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- 3.8 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
- 3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.10 सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
- 3.11 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3.4, 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियो में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू /कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

4. नियुक्ति की अवधि :-

- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा

सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

टीप :-

- चयन संबंधी विवाद की दशा में नियेक्ता का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgwcd.gov.in पर देखी जा सकती है।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नं० का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना की जानकारी दी जा सके।
- दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।


संचालक

महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)